

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 24 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष मेंआयोजित
आयोग की 200वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
4. सुश्री श्यामला एस.कुंदर	सदस्य
5. सुश्री मीता राजीवलोचन	सदस्य सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री ए.अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ज्योति सिंघल	उप सचिव
3. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4. सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
5. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
6. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक
7. सुश्री एम.लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक
8. श्री बंसी लाल	परामर्शदाता (सहायक)
9. श्री वी.वी. भाले	समन्वयक
10. श्री अतुल सिन्हा	ज्येष्ठ प्रोग्रामर

आरम्भ में अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुश्री मीता राजीवलोचन, जिन्होंने तारीख 08-01-2020 से राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य-सचिव का पदभार ग्रहण किया है, सदस्य सचिव का स्वागत किया। सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं.200/I/1:

आयोग द्वारा तारीख **26 दिसंबर, 2019** को आयोजित आयोग की 199वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं.200/I/2:

तारीख **26 दिसंबर, 2019** को आयोजित आयोग की 199वीं बैठक की बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

कार्यसूची मद सं.200/I/3:

34वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला-2020 में राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए विज्ञापन और प्रचार - की बाबत।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित रूप से भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया:

कार्यसूची मद सं.200/I/4:

तारीख **4 जनवरी, 2020** को गांधीनगर में ”महिला मजदूर वर्ग सहभागिता दर” पर प्रादेशिक परामर्श।

कार्यसूची मद सं.200/I/5:

पूर्वोत्तर प्रदेश की बाबत वित्तीय वर्ष **2019-20** के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किए गए सेमिनार प्रस्ताव (**04.11.2019-22.11.2019**)।

कार्यसूची मद सं.200/I/6:

आंकाक्षापूर्ण जिलों की रिपोर्टों में की गई टीका-टिप्पणी/सिफारिश_का अनुसमर्थन।

कार्यसूची मद सं.200/I/7:

मनोरोग गृह पर रिपोर्ट का अनुसमर्थन

कार्यसूची मद सं.200/I/8:

वर्ष 2018-19 के दौरान 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पंजाब राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 62,188/- रुपये (केवल बासठ हजार एक सौ अठासी रुपये) का निर्मोचन।

कार्यसूची मद सं.200/I/9:

विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राष्ट्र-व्यापी प्रतियोगिता और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिपूर्ति की गई रकम की स्थिति।

कार्यसूची मद सं.200/I/10:

जम्मू विश्वविद्यालय में ”उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण” के संबंध में सेमिनार

कार्यसूची मद सं.200/I/11:

’विनिश्चय करने में महिलाओं की सहभागिता‘, पंजाब विश्वविद्यालय, के संबंध में सेमिनार।

कार्यसूची मद सं.200/I/12:

तारीख 2 अगस्त, 2019 को तमिलनाडू राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में ”उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण” के संबंध में सेमिनार।

कार्यसूची मद सं.200/I/1:

तारीख 30.12.2019 तक उपगत व्यय

कार्यसूची मद सं.200/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

कार्यसूची मद सं.200/III/1:

’विनिश्चय करने में महिलाओं की सहभागिता‘, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के संबंध में सेमिनार।

कार्यसूची मद सं.200/III/2:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

कार्यसूची मद सं.200/III/3:

”हिंसा मुक्त गृह-दिल्ली परियोजना” के अधीन व्यय का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

कार्यसूची मद सं.200/III/4:

आईजी कमजोर वर्ग, पटना, बिहार, के साथ हुई बैठक के संबंध में रिपोर्ट का अनुसमर्थन।

पटल कार्यसूची सं. 200/पटल/1:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रा.म.आ. की मीडिया योजना का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

पटल कार्यसूची सं. 200/पटल/2:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रा.म.आ. की मीडिया मुहिम के लिए सृजनात्मक डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन एफ डी सी) की नियुक्त करने और घरेलू हिंसा का निवारण और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के दो विषयों पर सृजनात्मक के विकास के लिए किश्त का निर्मोचन करने के लिए अनुमोदन।

पटल कार्यसूची सं. 200/पटल/3:

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन एफ डी सी) के माध्यम से घरेलू हिंसा का निवारण और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने के दो विषयों पर लघु फिल्म प्रतियोगिता का संचालन और पहली किश्त का निर्मोचन।

पटल कार्यसूची सं. 200/पटल/4:

आयोग ने आंकाक्षापूर्ण जिला, सरसवती, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन किया।

आयोग ने आंकाक्षापूर्ण जिला, सरसवती, उत्तर प्रदेश की में की गई टीका - टिप्पणी। सिफारिश का अनुसमर्थन किया।

आयोग ने विचार-विमर्श किया गया और आयोग की मुख्य परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकों में सदस्यों को बुलाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। तथापि, ऐसी अपेक्षा का विनिश्चय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी आयोग की अध्यक्ष होगी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(मीता राजीवलोचन)
सदस्य-सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष